[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 42/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसंबर, 2020

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित ‘मिथाईलीन क्लोराइड’ जिसे ‘डाइक्लोरोमीथेन’ के नाम से भी जाना जाता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 31 मई, 2016 जिसे सा.का.नि. 565 (अ), दिनांक 31 मई, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है ) के नियम 23 के अनुपालन में, प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/19/2020-डीजीटीआर, दिनांक 31 अगस्त, 2020, जिसे दिनांक 31 अगस्त, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है ।

अत: अब, उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 31 मई, 2016 जिसे सा.का.नि. 565 (अ), दिनांक 31 मई, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में क्रम संख्या 9 में स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लागू होता है उनसे इतर कोई भी देश " प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

”3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, उपर्युक्त सारणी में क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 द्वारा विषयगत माल पर लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो, लागू रहेगा ।”

[फाइल संख्या 354/273/2015 -टीआरयू (पार्ट-।)]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार